



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/784

दिनांक: -21/08/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (15) कम्पनियों का नाम **कर्नाटक** राज्य से हटाने के मामले में:

| S No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
|-------|-----------|-----------------------|---|
| 1 | AA8402733 | U72200KA2020PTC131472 | कॉन्सिलियम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | AA9246291 | U55201KA2012PTC064070 | स्पिन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | AA9304475 | U03220KA1998PTC024252 | पार्क एविएशन टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | AA9317141 | U72502KA2018PTC110147 | बिज़नेस डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | AA9377339 | U85320KA2004PTC033496 | जे.एस.इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | AA9430543 | U63030KA2021PTC149032 | कलिन एससीएम प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | AA9448667 | U74110KA2015PTC084664 | आर्मर वेरिटास सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 8 | AA9492302 | U72100KA2019PTC124178 | स्केलेबिज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | AA9545664 | U46909KA2023PTC171923 | ऑरिशक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | AA9548144 | U85100KA2021PTC151162 | साल्वे ट्रीटमेंट लाउंज प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | AA9552056 | U14100KA2010PTC054389 | नमनावरकस्तान नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 12 | AA9560383 | U72900KA2020PTC142537 | कम्युनिटी कैफे प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | AA9683323 | U72900KA2014FTC074330 | शिपेबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 14 | AA9695985 | U85100KA2014PTC076453 | आरएक्स हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | AA9761261 | U78100KA2023PTC175799 | जॉबाइन बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है
4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

इरकन तिर्की
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0393/2425